आदेश की कम 0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

10/2/19

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।
क्रि0मि0 वाद सं0– 324/2019
प्रथम पक्ष– परमानन्द चौरसिया
बनाम
द्वितीय पक्ष– राजेश कु0 पटवारी वगै0
दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही
आदेश

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्ररम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0नं0	दाग नं0	रकवा	चौहद्दी			
				उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
रतनपुर	08	338	अंश रकवा 10 कट्ठा	द्वितीय पक्ष	प्रथम पक्ष	पनपीवा पोखर	बनारसी चौधरी

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा रतनपुर, जमाबंदी नं0– 08, दाग नं0– 338 के आंशिक रकवा 10 कट्ठा जमीन प्रथम पक्ष ने निबंधित दस्तावेज सं0 2664 के द्वारा सुशीला बाई, पति– स्व0 हनुमान पटवारी से क्रय कर प्राप्त किये हैं एवं उसका नामांतरण अपने नाम से कराकर विगत 35 वर्षो से बिना किसी बिध्न बाधा के शांतिपूर्ण ढंग से फसल लगाकर भोग दखल करते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 14.06.2019 को रात में असामाजिक तत्वों को बुलाकर प्रथम पक्ष के मेंढ़ से 40 फीट दक्षिण की ओर उक्त भूमि में 15 सीमेंट का पीलर प्रथम पक्ष की जमीन पर जोर जबरदस्ती गाड़ दिये हैं एवं उनकी जमीन पर स्टोन डस्ट बालू वगैरह भी गिरा दिये हैं। प्रथम पक्ष का लड़का नवीन कुमार जो पटना में केन्द्रीय सरकारी की सेवा में कार्यरत है, अपने घर आने पर प्रश्नगत भूमि को देखने गया तब तीनों व्यक्ति द्वितीय पक्ष को बुलाये तब उनलोगों से पुछा की मेरी जमीन में पीलर क्यों गाड़ दिये है और जमीन में डस्ट बालु क्यों गिरा दिये हैं जिसपर हम फसल कैसे लगायेगें। इसी बात पर राज कुमार पटवारी लोहे के रड से उसकी आंख पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी आंख के नीचे एवं बगल भाग में लगा और खुन निकलने लगा। फोन से प्रथम पक्ष को जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहूंच कर नवीन कुमार को थाना ले गये और प्राथमिकी दर्ज कराये थाना से उपचार के लिए बरहरवा अस्पताल लाया गया जहाँ उनका कटे हुए भाग पर डॉक्टर द्वारा सिलाई की गयी। द्वितीय पक्ष असामाजिक व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखते हैं। उनका कार्य स्टोन चिप्स का है एवं उनका स्पलाई बंगाल एवं अन्य जगहों पर करते हैं। जिसके कारण द्वितीय पक्ष अपने साथ हमेशा असमाजिक तत्वों को अपने साथ रखते हैं। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्षगण हड़पने की फिराक में हैं, जिससे शांति भंग की संभावना द्वितीय पक्षों से बनी हुयी है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल कारण पृच्छा में उल्लेख किये हैं कि उक्त वाद में पूर्व में न्यायालय के द्वारा अंचल अधिकारी, बरहरवा के उक्त वाद के

Scanned with CamScanner

संबंध में जाँच प्रतिवेदन के साथ जमीन नापी करने का आदेश पारित किया गया थ जिसके संबंध में अंचल अधिकारी, बरहरवा को ज्ञापांक 235/डी0बी0, दिनांक 12.0 2019 के द्वारा दिया गया था। प्रथम पक्ष के द्वारा गलत व मनगढंत आरोप लगाकर यह वाद लाये हैं। जबकि इस प्रकार की काई घटना घटित नहीं हुयी है। प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त वाद में पूर्व में भी उभय पक्ष उपस्थित हो चुके हैं। सब जज, प्रथम, राजमहल के न्यायालय में जब ओरिजनल वाद सं0 55/2019 दाखिल किया गया है तो वरीय न्यायालय में वाद लंबित रहने के दरम्यान प्रसंगाधीन वाद का कोई औचित्य नहीं रहता है। प्रथम पक्ष के द्वारा लगाया गया सभी अरोप गलत एवं आधारहीन है। अतएव जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त एवं प्रथम पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

उभय पक्षों द्वारा उपस्थापित कागजातों एवं उनके विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से प्रतीत होता है कि मौजा रतनपुर के जमाबंदी नं0– 08, दाग नं0– 338 में कुल रकवा 10 कट्ठा जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है एवं शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत पाया जाता है कि मौजा रतनपुर के जमाबंदी नं0– 08, दाग नं0– 338 का कुल रकवा 10 कट्ठा जमीन पर द्वितीय पक्ष के दखल में है, जिसे लेकर आवेदक द्वारा विवाद लाया गया है। जो सब जज प्रथम न्यायालय राजमहल में ओरिजनल वाद सं0 55/2019 लंबित है।

वर्त्तमान वाद में दखल संबंधी जो बिन्दु उठाये गयें है वे माननीय सब जज प्रथम राजमहल के न्यायालय में वाद संख्या 55/2019 के अन्तर्गत नंबित है। जब माननीय सिविल कोर्ट वाद पर विचार कर रहें है तो वर्त्तमान वाद के चलने को कोई औचित्य नही है। इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner